

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2456/2026

Vishal Mali S/o Jagdish, Aged About 22 Years, R/o Manasar,
District Nagaur, Rajasthan Presently Lodged In Central Central
Jail Nagaur

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhimanyu Singh Rathore Mr. Balveer Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP Mr. Trilok Joshi for complainant

HON'BLE MR. JUSTICE KULDEEP MATHUR

Order

27/03/2026

1. This application for bail under Section 483 of BNSS (439 Cr.P.C.) has been filed by the petitioner who has been arrested in connection with F.I.R. No.301/2024 registered at Police Station Kotwali Nagaur, District Nagaur, for offences under Sections 143, 341, 323, 325, 308, 302 and 120-B of the IPC.
2. Learned counsel for the petitioner submitted that the co-accused persons, namely, Pankaj Soni (S.B. Cr. Misc. Second Bail Application No. 12171/2025), Jitendra (S.B. Cr. Misc. 2nd Bail Application No. 4552/2025), Mukesh Kumar (S.B. Cr. Misc. Bail Application No. 10575/2025), Shivram (S.B. Cr. Misc. Bail Application No. 2660/2026) and Ramjeevan (S.B. Cr. Misc. 2nd Bail Application No. 12479/2025), have already been enlarged on bail by co-ordinate Benches of this Court. Learned counsel further

submitted that the role assigned to the present petitioner in commission of the alleged crime is not at all distinguishable from that of the role assigned to the co-accused persons who have already been granted bail.

3. Lastly, learned counsel submitted that the petitioner is in judicial custody and that the trial is likely to take considerable time; therefore, the benefit of bail may be granted to the accused-petitioner.

4. The order dated 19.11.2025 passed by the co-ordinate Bench of this Court while enlarging the co-accused Pankaj Soni (S.B. Criminal Misc. Bail Application No.12171/2025) on bail is reproduced herein below for ready reference:-

"प्रार्थी अभियुक्त **पंकज सोनी** की ओर से यह द्वितीय जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 341, 323/149, 325/149, 308/149, 302/149 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. तामील पूर्ण होने के पश्चात् भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

03. प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त के निवेदनानुसार पूर्व में दिनांक 27.06.2025 को गवाह डॉक्टर इमरान शेख के बयान लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ जरिये विद्मोवल निस्तारित किया जा चुका है।

04. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

05. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 03 डॉक्टर इमरान शेख के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रार्थी-अभियुक्त पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन गवाह पी.डब्ल्यू. 03 डॉक्टर इमरान शेख के प्रतिपरीक्षण के अनुसार मृतक की मृत्यु कारित चोटों की वजह से नहीं हुई थी।

प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। सहअभियुक्त जितेन्द्र पुत्र शिव नारायण की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 02.05.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त से भिन्न नहीं है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

06. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

07. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादिया अंतु देवी ने दिनांक 20.06.2024 को पुलिस थाना कोतवाली, नागौर में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश करी कि दिनांक 20.06.2024 को शाम करीब 07:30 बजे उसका बड़ा बेटा नवीन अपनी बाजरवाड़ा स्थित दुकान से अपने कारीगर के साथ सोने के आभूषण रखड़ी सेट एक, सात सोने की अंगूठी, एक चेन सोने की, एक चिक सोने की, दो जोड़ी पत्ता, कुल करीब 200 ग्राम सोना लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में दीपचंद सोनी, मुकेश सोनी, छोटमल सोनी, सुन्दरमल सोनी व पंकज सोनी लूटने व जान से मारने की नीयत से एक राय होकर आये तथा लाठियों व सरियों से तथा तलवार से उसके पुत्र नवीन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और सोने के आभूषण लूट लिये, जिससे उसका पुत्र नवीन गंभीर मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 147, 341, 323/149, 325/149, 308/149, 302/149 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज होकर आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 01 अजरुदीन सरदार, पी.डब्ल्यू. 2 प्रदीप सोनी, पी.डब्ल्यू. 03 डॉक्टर इमरान शेख के बयान लेखबद्ध किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 अजरुदीन सरदार पक्षद्रोही रहा और गवाह पी.डब्ल्यू. 03 डॉक्टर इमरान शेख ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात को सही बताया की पोस्टमार्टम के दौरान हमारी टीम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी कि मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर आई चोटों के कारण हुई हो। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतक की छाती, पेट, सिर व उनके अंदरूनी अंगों व मार्मिक अंगों पर कोई चोट नहीं पाई गई एवं मृतक का ईलाज एक जगह पर नियमित रूप से नहीं होने के कारण एवं उसकी किडनी की बीमारी व फेफड़ों में एक्यू रेसपीरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण मृत्यु हुई थी। डॉक्टर इमरान शेख ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी राय में मृतक का ईलाज नियमित रूप से एक जगह सही तरीके से हुआ होता तो उसकी जान बचाना संभव होता। गवाह ने यह भी कहा है कि दस्तावेज के अवलोकन से इस

बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक के परिजनों की गफलत के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। इस प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू. 03 ने प्रतिपरीक्षण में दी गई साक्ष्य एवं अन्य सहअभियुक्त जितेन्द्र की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 02.05.2025 को स्वीकार करने की स्थिति को एवं प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त पंकज सोनी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **पंकज सोनी पुत्र सुन्दर लाल सोनी** की ओर से प्रस्तुत जमानत का द्वितीय प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।”

5. *Per Contra*, learned Public Prosecutor opposed the bail application. However, he was not in a position to refute the fact that the above-named co-accused persons have already been enlarged on bail.

6. Heard learned counsel for the petitioner and learned Public Prosecutor. Perused the material available on record.

7. Having considered the rival submissions, and the facts and circumstances of the case, particularly the fact that the above-named co-accused persons have already been enlarged on bail, and without expressing any opinion on the merits or demerits of the case, this Court is inclined to enlarge the petitioner on bail.

8. Consequently, the bail application under Section 483 of BNSS (439 Cr.P.C.) is allowed. It is ordered that the accused-petitioner

Vishal Mali S/o Jagdish arrested in connection with F.I.R.

No.301/2024 registered at Police Station Kotwali Nagaur, District Nagaur, shall be released on bail, if not wanted in any other case, provided he furnishes a personal bond of Rs.50,000/- and two sureties of Rs.25,000/- each, to the satisfaction of learned trial court, for his appearance before that Court on each & every date of hearing and whenever called upon to do so till completion of the trial.

9. It is however, made clear that findings recorded/observations made above are for limited purposes of adjudication of bail application. The trial court shall not get prejudiced by the same.

(KULDEEP MATHUR),J

250-Dinesh/-